उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1793 /ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0 जीएसटी नियम-2017-आदेश-(86)-2017

लखनऊ::दिनांकः नवम्बर 24 , 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (दशम् संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर(दशम् संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी। (2) यह तारीख15 नवम्बर , 2017 को प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।
नियम 43 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम 43 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-- "**स्पष्टीकरण**—नियम 42 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त पूर्तियों के समग्र मूल्य में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1338(क), तारीख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 42/2017-एकीकृत कर, (दर) तारीख 27 अक्टूबर, 2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को अपवर्जित किया जाएगा ।";
नियम 54 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में, नियम 54 के उपनियम (2) में, शब्द "पूर्तिकर्ता जारी करेगा", के स्थान पर शब्द "पूर्तिकर्ता जारी कर सकेगा", रख दिए जाएंगे;
नियम 97 के पश्चात् नियम 97क का बढाया जाना	4.	उक्त नियमावली में,नियम 97 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-- "97क. **मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण**—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना,

		उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा ।";
नियम 107 के पश्चात् नियम 107क का बढ़ाया जाना	5.	उक्त नियमावली में, नियम 107 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-- "107**क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण**—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा ।";
नियम 109क का बढ़ाया जाना	6.	उक्त नियमावली में, नियम 109 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-- **"109क.** अपील प्राधिकारी की नियुक्ति--(1) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या ओदश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिस तारिख को उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, तीन मास के भीतर, अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा। (2) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन निदेशित कोई अधिकारी, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर, अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा।";

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क तथा प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01ख का बढ़ाया जाना	7.	**उक्त नियमावली में, "प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01"** के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01क

[नियम 89(1) और नियम 97क देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन (मैनुएल रूप से)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति, अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर की कटौती करने वाले व्यक्ति, कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति या अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति के लिए लागू)

1.	जी.एस.टी.आई.एन./ अस्थाई पहचान पत्र							
2.	विधिक नाम							
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो							
4.	पता							
5.	कर की अवधि (यदि लागू हो)	<वर्ष ><मास > से <वर्ष ><मास> तक						
6.	दावा किए गए प्रतिदाय की रकम (रू..	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
		केंद्रीय कर						
		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		योग						
7.	दावा किए गए प्रतिदाय के आधार (सामने में से चुनें)	(क)	इलेक्ट्रानिक जमा खाते में आधिक्य अधिशेष					
		(ख)	सेवाओं का निर्यात –कर के भुगतान के साथ					
		(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात –कर के भुगतान के बिना (संचित आई.टी.सी.)					
		(घ)	विपरीत कर संरचना के प्रति शोध्य संचित आई.टी.सी. (धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन)					
		(ङ)	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/ विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं को की गयी पूर्ति के कारण (कर के भुगतान के साथ)					

		(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/ विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं को की गयी पूर्ति के कारण (कर के भुगतान के बगैर)
		(छ)	मानित गया निर्यात का प्राप्तिकर्ता

घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात किया गया माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यधीन नहीं है । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने उस पूर्ति पर भुगतान किए गये एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का कोई दावा नहीं किया है जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर
नाम –
पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [धारा 54(3)(ii)]

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए आई.टी.सी. प्रतिदाय में शून्य दर वाली या पूर्णतया छूट-प्राप्त प्रतिदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई.टी.सी. सम्मिलित नहीं है ।

हस्ताक्षर
नाम –
पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने आवेदक के द्वारा संदत्त कर के ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है ।

हस्ताक्षर
नाम –
पदनाम/प्रास्थिति

स्वघोषणा [नियम 89(2)(छ)]

मैं/ हम_____ (आवेदक), जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी ---------- सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ करती हूं/करते हैं और प्रमाणित करता हूं/करती हूं/करते हैं कि ---------- से ---------- तक कि अवधि के लिए कर, ब्याज या अन्य किसी राशि से संबंधित ---- रूपये की राशि के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में जिसका दावा किया गया है, उसके बारे में ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर आरोपित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर
नाम –
पदनाम/प्रास्थिति
(यह घोषणा उन आवेदकों के लिए अपेक्षित नहीं है, जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है ।)

8. सत्यापन

मैं/ हम<करदाता का नाम>, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ करती हूं/करते हैं और यह घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य तथा सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है ।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि इसके पहले मैंने/हमने इस निमित्त कोई भी प्रतिदाय नहीं

लिया है।

स्थान
तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम)
पदनाम/प्रास्थिति

अनुबंध-I

विवरण -1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत कर संरचना के कारण संचित शोध्य आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(राशि रूपये में)

माल की विपरीत कर दर पर प्रदाय का आवर्त	माल की ऐसी विपरीत कर दर पर संदेय कर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा किये जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय की राशि [(1×4÷3)-2]
1	2	3	4	5

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी) - प्रतिदाय राशि की संगणना

(राशि रूपये में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाईयों/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को कर के भुगतान के बिना किए जाने वाले प्रदाय के कारण (संचित आईटीसी) - प्रतिदाय की राशि की संगणना

(राशि रूपये में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)
1	2	3	4

प्ररूप-जीएसटी-आरएफडी-01 ख

[नियम 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) और 97क देखें]

प्रतिदाय आदेश के ब्यौरे

1.	एआरएन	
2.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी	
3.	विधिक नाम	
4.	फाइल किए जाने की तारीख	
5.	प्रतिदाय का कारण	
6.	वित्तीय वर्ष	
7.	मास	
8.	आदेश सं.:	
9.	आदेश को जारी किए जाने की तारीख :	
10.	पेमेंट एडवाइस की सं. :	

11.	पेमेंट एडवाइस की तारीख :	
12.	जिसको प्रतिदाय जारी किया गया :	ड्राप डाउन : करदाता / उपभोक्ता कल्याण निधि
13.	के द्वारा जारी :	
14.	टिप्पणी :	
15.	आदेश का प्रकार	ड्राप डाउन : आरएफडी - 04/ 06/ 07 (भाग क)
16.	प्रतिदाय राशि के ब्यौरे (मैनुअल रूप से जारी आदेश के अनुसार):	

विवरण	एकीकृत कर						केन्द्रीय कर						राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						उपकर					
	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग
क. दावा की गई प्रतिदाय राशि																								
ख. अनंतिम आधार पर मंजूर किया गया प्रतिदाय																								
ग. शेष राशि																								
घ. अस्वीकार्य प्रतिदाय राशि																								
ङ सकल राशि, जिसका भुगतान किया जाना है																								
च. ब्याज (यदि कोई हो)																								
छ. विद्यमान विधि के अधीन या अधिनियम के अधीन बकाया मांग के स्थान पर समायोजित राशि																								
ज. शुद्ध राशि, जिसका भुगतान किया जाना है																								

17. कुर्की (आदेश)	आरएफडी -04; आरएफडी - 06; आरएफडी 07 (भाग क)
तारीख : स्थान :	हस्ताक्षर (डीएससी): नाम : पदनाम : कार्यालय का पता :

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव